कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

सन्निर्माण कर्मकार, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं। सामाजिक महत्व और उनके कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सन्निर्माण कर्मकारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों की अवधि को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए श्रम विभाग, दिल्ली; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) तथा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अनुसार, सन्निर्माण कार्यों में लगे प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जो सन्निर्माण कार्यों में दस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, कोई भी प्रतिष्ठान जो पंजीकृत नहीं है, उस प्रतिष्ठान में सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित नहीं करेगा।
- सन्निर्माण गतिविधियों में लगे ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण यह सुनिश्चित करने में पहला कदम है कि इन प्रतिष्ठानों में नियोजित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) पंजीकृत हो जाए और उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने से संबंधित बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू की संख्या के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़ें नहीं थे।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिलों में, अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच उपकर जमा करने वाले 97 निजी

प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं थे। इसी प्रकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार सन्निर्माण में शामिल 25 प्रतिष्ठान भी पंजीकृत नहीं पाए गए। यह स्पष्ट रूप से पात्र प्रतिष्ठानों की पहचान करने और पंजीकरण करने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने के लिए बोर्ड की ओर से ढ़िलाई को दर्शाता है।

- बोर्ड अपने साथ पंजीकृत बताए गए 6.96 लाख बीओसी कर्मकारों में से केवल 1.98 लाख का ही पूरा डेटाबेस प्रदान कर सका। 1.98 लाख लाभार्थियों में से, जिनके चित्र लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए थे, 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख चित्रों के साथ जोड़ा गया था, यानी प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक चित्र।

- डुप्लिकेट चित्र, बिना चेहरे वाले चित्र और एक ही चेहरे के कई पंजीकरण की उपलब्धता, पंजीकरण प्रक्रिया में कई खामियों को इंगित करती है। चूंकि एक मज़बूत कंप्यूटर ऐल्गोरिदम को प्रत्येक चित्र में ठीक एक चेहरे की आवश्यकता होगी, यह पंजीकरण के दौरान ऐसे चित्रों का पता लगाने के लिए आईटी प्रणाली की विफलता को इंगित करता है।

- बीओसीडब्ल्यू के पंजीकरण के नवीकरण के मामले में, दिल्ली अखिल भारतीय प्रदर्शन से काफी पीछे थी, जो अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण के 74 *प्रतिशत* नवीकरण के प्रति केवल 7.3 *प्रतिशत* था।

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (उपकर अधिनियम), 1996 की धारा 3 में सन्निर्माण की लागत पर उपकर के अनिवार्य उद्ग्रहण और संग्रहण का प्रावधान है और भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (सितंबर 1996) के अनुसार, नियोजक द्वारा की गई सन्निर्माण लागत का एक *प्रतिशत* उपकर के रूप में लगाया जाएगा, जिसका भुगतान बोर्ड को किया जाएगा। मार्च 2023 तक, बोर्ड ने ₹ 3,579.05 करोड़ की निधि जमा की थी।

- उपकर संग्रहकर्ताओं के अभिलेखों, जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार संग्रहित उपकर राशि के आंकड़ों में भारी अंतर था। जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार चार वर्षों के लिए उपकर के आंकड़ों में अंतर ₹ 204.95 करोड़ का था। अंतर का मिलान नहीं किया गया था।

- विभाग ने निर्धारित, संग्रहित और प्रेषित उपकर का कोई मिलान किया हुआ डेटाबेस नहीं रखा और इस प्रकार देय उपकर की राशि और उसके समय पर संग्रहण का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। उपकर का गलत निर्धारण, अल्प/जमा/वसूली के मामले देखे गए थे।

- कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय 2021-22 को छोड़कर कुल प्राप्तियों का केवल 9.53 से 11.33 *प्रतिशत* के बीच था, जब कोविड महामारी की अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू को अनुग्रह भुगतान किया गया था।

- 2019-20 से 2022-23 के दौरान 17 में से केवल 12 योजनाओं के अंतर्गत ही हितलाभ प्रदान किए गए थे क्योंकि पांच योजनाओं, अर्थात गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता, घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम, कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण, कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान और बीमा पॉलिसी, में कोई व्यय नहीं किया गया था।

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सन्निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता राशि ₹ 46.08 करोड़ थी जिसे 58,998 विद्यार्थियों में वितरित किया जाना था, इस राशि को केवल मार्च 2022 में बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय को जारी किया गया था। अनुवर्ती वर्षों से संबंधित हितलाभ का सितंबर 2023 तक भुगतान किया जाना शेष था। विभिन्न योजनाओं से संबंधित 4,017 दावों में से 134 में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने में 1,423 दिनों तक का विलंब था।

- भारत सरकार द्वारा राज्यों को सलाह दिए जाने (अक्टूबर 2018) के बावजूद कि वे बीओसी कर्मकारों को काम मिलने तक पारगमन आवास/श्रम शेड - सह- रात्रि आश्रय, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, बोर्ड ने दिल्ली में इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

- बोर्ड ने 2019-20 में 350 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बीओसी कर्मकारों और उनके आश्रितों को आगे कोई अन्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था, जो उन्हें अपने कौशल को उन्नत करने या नए कौशल प्राप्त करने में विविधता लाने में मदद कर सके।

- बोर्ड ने जून 2019 में भारत सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी, परंतु इसे लागू नहीं किया और अभी भी दुर्घटना में मृत्यु के मामले में केवल ₹ 2 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 1 लाख की सहायता प्रदान करना जारी रखा, जबकि देय राशि क्रमशः ₹ 4 लाख और ₹ 2 लाख थी।

- आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) देश भर में किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ अस्पताल में भर्ती होने के मामले में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। श्रम विभाग और बोर्ड ने इस लाभकारी योजना के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और इस प्रकार वे अधिकतम ₹ 10,000 की मामूली चिकित्सा सहायता के पात्र हैं।

- चार वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार नियोजकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के चयनित जिलों द्वारा या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) द्वारा सन्निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े पांच वर्ष बाद भी दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई ***सामाजिक लेखापरीक्षा*** नहीं की गई थी (अक्टूबर 2023)।

हम क्या सिफारिश करते हैं?

1. सरकार को सन्निर्माण गतिविधियों में शामिल सभी प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, समयबद्ध तरीके से सभी बीओसी कर्मकारों का पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए और उन पात्र कर्मकारों का उपर्युक्त अभिलेख रखना चाहिए, जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना है।

2. बोर्ड को संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि रा.रा.क्षे. दिल्ली में बीओसी कर्मकारों की आसानी से पहचान और पंजीकरण किया जा सके और उन सभी को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके।

3. बोर्ड को अपनी पंजीकरण प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए अपने एप्लिकेशन की सुरक्षा संपरीक्षा कराने की आवश्यकता है तथा अपने विभिन्न डाटाबेस के प्रमाणीकरण और समन्वय में अधिक सक्रियता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उसके मूल कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है।

4. सरकार को सभी उपकर संग्रहणों के लिए ऑनलाइन भुगतान मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक समय में उपकर प्राप्त हो सके, इसके अतिरिक्त भवन नक्शा-अनुमोदन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास पड़े उपकर का भुगतान बिना विलंब के किया जा सके।

5. एक मज़बूत समाधान तंत्र, अधिमानतः ऑनलाइन, विकसित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बकाया राशि संग्रहित की जा रही हैं और उसका सही हिसाब रखा जा रहा है।

6. सन्निर्माण कार्य बंद होने पर बीओसी कर्मकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार को एक नियमित योजना शुरू करने की आवश्यकता है और पंजीकृत स्थानांतरित बीओसी कर्मकारों से संबंधित डेटा की अंतर-राज्यीय सुवाह्यता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

7. बोर्ड को निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा ताकि बीओसी कर्मकारों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

8. बोर्ड को रा.रा.क्षे.दि. में रहने वाले बीओसीडब्ल्यू के कल्याण के लिए भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उनकी जीवन-निर्वाह स्थितियों में सुधार हो सके।

9. बोर्ड को नियमित अंतराल पर बैठक करनी चाहिए ताकि मार्गदर्शन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के कार्य और उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निभाए जा रहे हैं।

10. सरकार अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मज़बूत करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा भी प्रारंभ कर सकती है।